न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 32/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हलका भाखरपुरा		श्री माना , कृषण पि. सोना कौम कलबी सा. खारवा तहसील गुडामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 28.08.17

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थीगण श्री माना , कृषण

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थीगण ने सरहद मौजा खारवा सरकारी भूमि ख.नं. 491/17 , 491 क्रमशः कुल रकबा 20 ,718.16 क्रमशः किस्म बा. दो. , गै. मु. गोचर में से क्रमश/ 2.02 , 0.18 बीघा भूमि पर बाड बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया हैं , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं , जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

नियत तारीख पेशी दिनांक 28.08.17 को प्रार्थी पटवारी हलका तथां अप्रार्थीगण उपस्थित , अप्रार्थीगण ने जबाब पेश नहीं किया तथा जबाब पेश नहीं करना चाहता, उक्त भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया , अप्रार्थीगण की शहादत बन्द की जाती हैं ।

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थीगण को बेदखल करने तथा दंडित करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं अतः अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का अति[illegible]षित किया जाता हैं तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के [illegible] शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । [illegible] मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान 1.61 रूपये का पच्चास गुणा 81 अक्षरे रूपये [illegible]यास्सी शास्ति जुर्माना [illegible]पित की जाती हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:54:04 IST
Reason: SelfAttested

, जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक 28.08.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:54:04 IST
Reason: SelfAttested